निधि कुमार नारंग
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ–01
E-mail : directorcomm@uppcl.org
Tel No. – (0522) 2287806 (O)
(Fax) – (0522) 2287806
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

संख्या–1232/मु0अ0(वाणिज्य)/वा0–1/सी0–1 दिनांक : 25-11, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

विद्युत प्रदाय संहिता 2005 यथासंशोधित के खण्ड 4.43 में सार्वजनिक प्रकाश के अतिरिक्त अन्य विधाओं के विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजनों की भार वृद्धि किये जाने का प्राविधान है।

एतद्द्वारा उपभोक्ता सेवाओं के सरलीकरण हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भार वृद्धि करने की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यथा आवश्यक प्रपत्र/संलग्नक अपलोड करते हुये ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

पात्र उपभोक्ता श्रेणी के लिये ऑनलाइन भार वृद्धि की प्रक्रिया की SOP संलग्न है।

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वाणिज्य)

संख्याः– 1232/मु0अ0(वाणिज्य)/वा0–1/सी0–1/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0. लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण–क्षेत्र) ।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण) ।
10. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वाणिज्य)

(पत्रांकः–1232/मु0अ0 (वाणिज्य)/वा0–1/सी0–1 दिनांकः25 नवम्बर , 2024 का संलग्नक)

ऑनलाइन भार वृद्धि की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) नवम्बर, 2024

1. उपभोक्ता द्वारा **www.uppcl.org** पर उपलब्ध **लोड परिवर्तन अनुरोध** के लिन्क पर क्लिक किया जायेगा। जिससे उपभोक्ता सेवाओं हेतु बनाये गये ऑनलाइन पोर्टल का लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा।
2. प्रदर्शित किये गये लॉगिन पेज पर रजिस्टर्ड उपभोक्ता द्वारा लॉगिन किया जायेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो उपभोक्ता को सर्वप्रथम https://www.uppclonline.com पर ऑन–लाइन प्रदर्शित Consumer Registration Process के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. उपभोक्ता द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् उपभोक्ता सेवाओं में दिये गये विकल्पों में से भार वृद्धि का चयन किया जायेगा।
4. उपभोक्ता को विद्युत संयोजन की वर्तमान भार व श्रेणी स्वतः प्रदर्शित की जायेगी।
5. यदि उपभोक्ता के संयोजन पर वर्तमान में विद्युत बिल बकाया है तो उपभोक्ता को संदेश प्रदर्शित किया जायेगा–

   "कृपया विद्युत बकाया धनराशि रू0................ का पूर्ण भुगतान करने के उपरान्त ऑनलाइन भार वृद्धि की प्रक्रिया आरम्भ करने का कष्ट करें। विद्युत बकाया धनराशि जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें।"

   विद्युत बकाया जमा करने के पश्चात ही आनलाइन भार वृद्धि प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है।
6. यदि उपभोक्ता के संयोजन पर वर्तमान में विद्युत बिल बकाया नहीं है तो उपभोक्ता द्वारा वांछित भार वृद्धि (कि0वा0) का चयन किया जायेगा।
7. मीटरिंग वोल्टेज 11 के0वी0 (सामान्यतः 50 कि0वा0 से ऊपर) में परिवर्तित होने की स्थिति में उपभोक्ता के पास लाइन निर्माण कराने हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होगें–
   i. उपभोक्ता द्वारा स्वयं (सुपरविजन पर)
   ii. वितरण खण्ड द्वारा (Deposit Work के रूप में)
8. भार वृद्धि हेतु उपभोक्ता द्वारा अपलोड किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्न तालिकानुसार है–

क्र0 सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	भार वृद्धि के उपरान्त कुल भार	व्यक्तिगत बन्ध पत्र	B&L फार्म	विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र	अनुबन्ध पत्र
1	LMV-1	25 KW से कम	Yes	No	No	No
		25 KW से 50 KW तक	Yes	No	No	Yes
		50 KW से अधिक	Yes	No	Yes	Yes
2	LMV-2 & LMV-4	25 KW से कम	No	Yes	No	No
		25 KW से 50 KW तक	No	Yes	No	Yes
		50 KW से अधिक एवं 75 KW से कम	No	Yes	Yes	Yes
		75 KW तथा उससे अधिक	इस भार हेतु उपभोक्ता की विधा LMV-2 & LMV-4 के स्थान पर HV-1 में परिवर्तित होगी। अतः आवश्यक दस्तावेज तालिका में HV-1 विधा के अनुसार। क्रमांक–5 देखे।			
3	LMV-6	50 KW तक	No	Yes	No	Yes
		50 KW से अधिक एवं 75 KW से कम	No	Yes	Yes	Yes
		75 KW तथा उससे अधिक	इस भार हेतु उपभोक्ता की विधा LMV-6 के स्थान पर HV-2 में परिवर्तित होगी। अतः आवश्यक दस्तावेज तालिका मे HV-2 विधा के अनुसार। क्रमांक–5 देखे।			
4	LMV- 11	25 KW से कम	No	Yes	No	No
		25 KW से 50 KW तक	No	Yes	No	Yes
		50 KW से अधिक	No	Yes	Yes	Yes
5	HV-1 & HV-2	75 KW तथा उससे अधिक	No	Yes	Yes	Yes

a. **व्यक्तिगत बन्ध पत्र/B&L फार्म:-** उपभोक्ता द्वारा भरी गयी जानकारी के आधार पर सिस्टम जनित व्यक्तिगत बन्ध पत्र/B&L फार्म को पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

b. **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC):-** विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट "vidyutsuraksha.org" पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जा सकता है।

c. **अनुबन्ध पत्र:-** उपभोक्ता द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध अनुबन्ध पत्र के प्रारूप को रू0 100/- के शपथ पत्र (उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 (यथासंशोधित) के खण्ड 4.14 Agreement के अनुपालन में) पर प्रिंट तथा हस्ताक्षरित कर अपलोड किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध/शपथ पत्र की हार्ड-कॉपी सम्बन्धित वितरण खण्ड कार्यालय को स्पीड-पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजी जायेगी।

9. उपभोक्ता को वांछित प्रोसेसिंग शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि (additional Security amount) website पर ही प्रदर्शित की जायेगी, जिसका उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा। अन्य किसी माध्यम (कैश, चेक, डी0डी0) से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। प्रोसेसिंग फीस तथा अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि भुगतान के पश्चात सम्बन्धित वितरण खण्ड को बिलिंग सिस्टम पर भार वृद्धि आवेदन प्राप्त होगा।

10. (a) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा आवेदन में दी गयी जानकारी व आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों की जॉच किये जाने पर यदि पाया जाता है कि वर्तमान विद्युत प्रणाली, आवेदित भार हेतु पर्याप्त है एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है, तो तत्काल भारवृद्धि की जायेगी।

(b) अन्य प्रकरणों, जहाँ मीटरिंग वोल्टेज में परिवर्तन या Infra upgrade की आवश्यकता होगी, में सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा प्राक्कलन धनराशि निम्नवत टाइमलाइन (विद्युत प्रदाय संहिता-2005 में प्राविधानित) के अनुसार website पर दर्ज की जायेगी-

i. 50 कि0वा0/56 के0वी0ए0 भार तक (230/400 वोल्ट पर) (मीटर परिवर्तन की स्थिति में केवल नये मीटर का मूल्य लिया जाना है) -07 दिन

ii. 56 के0वी0ए0 से अधिक 3,000 के0वी0ए0 भार तक (11 के0वी0 पर) - 30 दिन

iii. 3,000 के0वी0ए0 से अधिक 20,000 के0वी0ए0 भार तक (33 के0वी0 पर) -30 दिन

iv. 20,000 के0वी0ए0 से अधिक (132 के0वी0 पर) -60 दिन

(c) प्राक्कलन धनराशि के सम्बन्ध में उपभोक्ता को एस0एम0एस0/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा। उक्त प्राक्कलन धनराशि उपभोक्ता द्वारा निम्न समय-सीमा के अन्दर जमा की जायेगी-

I. बिन्दु 10(i) हेतु जहॉ केवल नये मीटर का मूल्य लिया जाना है - 07 दिन

II. अन्य बिन्दु 10(ii), (iii) एवं (iv) हेतु - 90 दिन

(d) उपरोक्त प्राक्कलन धनराशि भुगतान की सूचना बिलिंग सिस्टम से सम्बन्धित वितरण खण्ड को प्राप्त होगी।

(e) सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा लाइन निर्माण की सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) न होने के कारण आवेदन निरस्त किए जाने पर उपभोक्ता को ऑनलाइन पोर्टल पर एवं एस0एम0एस0/ई-मेल द्वारा सूचित किया जायेगा।

11. सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा भार वृद्धि की प्रक्रिया में यदि नेटवर्क अपग्रेडेशन/ सुदृढ़ीकरण (Strengthening) की आवश्यकता है, तो विभाग द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने की टाइमलाइन (विद्युत प्रदाय संहिता–2005 में प्राविधानित के अनुसार) निम्नवत होगी–

i. 50 कि0वा0/56 के0वी0ए0 भार तक (230/400 वोल्ट पर) –45 दिन

ii. 56 के0वी0ए0 से अधिक 3,000 के0वी0ए0 भार तक (11 के0वी0 पर) – 60 दिन

iii. 3,000 के0वी0ए0 से अधिक 20,000 के0वी0ए0 भार तक (33 के0वी0 पर)–120 दिन

iv. 20,000 के0वी0ए0 से अधिक (132 के0वी0 पर) –300 दिन

12. यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रपत्र/संलग्नक, अप्राप्त/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अपलोड पाये जाते हैं, तो इस सम्बन्ध में आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर एवं एस0एम0एस0/ई–मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। आवेदक को सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवसों के अन्दर यथावश्यक प्रपत्रों/संलग्नकों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

13. यदि लाइन निर्माण का कार्य उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाना है तो उपभोक्ता द्वारा लाइन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के पश्चात विद्युत सुरक्षा निदेशालय से लाइन निर्माण के सम्बन्ध में एन0ओ0सी0 प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी। यदि उपभोक्ता द्वारा गलत एन0ओ0सी0 अपलोड की गयी है तो सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा उपभोक्ता को ऑनलाइन पोर्टल पर सूचित किया जायेगा, जिसके पश्चात उपभोक्ता पुनः एन0ओ0सी0 अपलोड कर सकेगा।

14. लाईन निर्माण की स्थिति में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एन0ओ0सी0 प्राप्त होने तथा अन्य स्थितियों में प्राक्कलन धनराशि जमा होने के उपरान्त नगर निगम क्षेत्र में 03, अन्य नगरीय निकाय क्षेत्र में 07 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 कार्य दिवसों में उपभोक्ता के परिसर पर नवीन भार के अनुसार मीटरिंग सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

15. भार वृद्धि हेतु आवश्यक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बिलिंग सिस्टम पर उपभोक्ता का नवीन भार एवं आवश्यकतानुसार टैरिफ, Supply Type (ST), Meter Change आदि 03 दिन में परिवर्तित किया जायेगा।

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वाणिज्य)